



2026:AHC:127400

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 19898 वर्ष 2026

अविनाथ

.....आवेदक(गण)

बनाम

प्रमुख सचिव (गृह) के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:

अतुल कुमार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

:

जी.ए. (राज्य अधिवक्ता), सुशील कुमार पांडे

न्यायालय संख्या 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार, सूचनाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार पांडे तथा उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. यह तत्कालिक जमानत आवेदन थाना- बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 186/2026, धारा 191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109(1), 351(2), 351(3) बी.एन.एस. के अंतर्गत आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने के अनुरोध के साथ दाखिल किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। कथित घटना दिनांक 27.04.2026 को हुई थी, प्रथम सूचना रिपोर्ट दो दिन बाद दिनांक 29.04.2026 को 16:11 बजे दर्ज कराई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए अत्यधिक विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जो आवेदक सहित 11 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। सूचनाकर्ता पक्ष के घायलों को आई चोटें सामान्य प्रकृति की हैं। कथित घटना दिनांक 27.04.2026 का एक प्रति संस्करण भी है। आवेदक पक्ष की ओर से कथित तौर पर दो व्यक्तियों को चोटें आई थीं और आवेदक पक्ष की ओर से एक प्रति प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 29.04.2026 को दर्ज कराई गई थी, जो मुकदमा अपराध संख्या 187/2026, धारा 131, 115(2), 110, 352, 351(3) बी.एन.एस., थाना बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर के रूप में दर्ज हुई। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क देते हैं कि आवेदक दिनांक 05.05.2026 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण (trial) में सहयोग करेगा।
4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि अपराध में आवेदक की संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक पक्ष की ओर से दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 187/2026 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है और आवेदक पक्ष के व्यक्तियों को आई चोटें सामान्य प्रकृति की हैं।
5. मैंने पक्षों के परस्पर तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए परस्पर तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों, आवेदक द्वारा काटी गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक इतिहास की अनुपस्थिति पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत पाने का आधार प्रस्तुत किया है।
7. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
8. आवेदक- **अविनाथ**, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय के संतोष के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही धनराशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई का आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।
- (i) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र प्रस्तुत करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित होंगे, तो वह साक्ष्य के लिए तय की गई तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए कानून के अनुसार आदेश पारित करने का विकल्प खुला रहेगा।
- (ii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय धारा 229-ए आई.पी.सी. / 269 बी.एन.एस. के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है।
- (iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सी.आर.पी.सी. / 84 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है, और

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



यदि आवेदक ऐसी उद्धोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय धारा 174-ए आई.पी.सी. / 209 बी.एन.एस. के अंतर्गत कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामला खोलने, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 सी.आर.पी.सी. / 351 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए तय की गई तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही करने का विकल्प खुला रहेगा।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

16 जून, 2026

ललित शुक्ला

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”